रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2005/ज्येष्ठ 30, 1927
No. 619] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2005/JYAISTHA 30, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2005

का.आ. 864(अ).—पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 34) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव करती है, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित, सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप, उस तारीख से, राजपत्र में अंतर्विष्ट अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है ।
 (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेटेंट नियम, 2003 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) में, "धारा 39, धारा 65 और धारा 125" शब्दों और अंकों के दोनों स्थानों पर क्रमशः "धारा 125" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 7 के उप नियम (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) जहां किसी दस्तावेज की बाबत कोई फीस संदेय है, वहां संपूर्ण फीस उस दस्तावेज के साथ लगेगी या उस दस्तावेज के फाइल करने की उस तारीख से एक माह के भीतर संदत्त की जाएगी और ऐसे संदाय पर, उस दस्तावेज के फाइल करने की उस तारीख पर अभिलेख में लिया जाएगा ।"

4. मूल नियमों के नियम 24ख में,-

(क) उप नियम (1) में,-

(i) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) वह अवधि जिसके भीतर धारा 11ख की उप धारा (3) के अधीन परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया जाता है, यदि लागू है, तो पूर्विकता की तारीख से छत्तीस मास होगी या भारत में आवेदन फाइल करने की तारीख से छत्तीस मास या जो भी बाद में हो, 1 जनवरी, 2005 से बारह मास होगी ;

(ii) खंड (v) में "धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पूर्व धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि या" शब्दो, अंको और अक्षरों को रखा जाएगा ।

(ख) उप नियम (4) के उपखंड (i) में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "नौ मास" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल नियमों के अध्याय 6 में शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"पेटेट देने की कार्यवाही का विरोध करना"

6. मूल नियमों के नियम 55 में,-

(क) (i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) पेटेंट का विरोध"

(ii) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन विरोध करने के लिए, अभ्यावेदन, जिसके अंतर्गत अभ्यावेदन के समर्थन में कोई कथन और साक्ष्य, यदि कोई हों, सुनवाई के लिए कोई अनुरोध भी है, यदि इस प्रकार की वांछा की गई है, तो समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा ।

(1अ) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पेटेंट धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुदत्त नहीं किया जाएगा ;

(ख) उप नियम (3) में "प्रभाव" शब्द के स्थान पर "ऐसे अभ्यावेदन की प्रति के साथ प्रभाव" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उप नियम (4) में "साक्ष्य" शब्द के पश्चात् "और सुनवाई करने के लिए अनुरोध करना" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(घ) उपनियम (6) में "अनुरोध किया गया" शब्दों के स्थान पर "किसी भी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया गया" शब्द रखे जाएंगे ;

7. मूल नियमों के नियम 55क में "धारा 25 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 25 की उपधारा (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

8. मूल नियमों के नियम 56 के उप नियम (4) में "धारा 25 की उप धारा (4)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 25 की उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

9. मूल नियमों के नियम 88 के उप नियम (1) में, "मुद्रांकन" शब्द के स्थान पर जो दोनों स्थानों पर क्रमशः "अनुदत्त किया गया" शब्द रखे जाएंगे ।

10. मूल नियमों के नियम 138 के उप नियम (1) में "नियम 24, 55 और 80 (1अ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 24आ, नियम 55 के उप नियम (4) और नियम 80 के उप नियम (1अ) शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।"

11. मूल नियमों की प्रथम अनुसूची में,-

(क) स्तंभ 4 और स्तंभ 5 के आरंभ में "रूपये" शब्द दोनों स्थानो पर है, लोप किया जाएगा ;

(ख) स्तंभ 2 मे,-

(i) प्रविष्टि संख्यांक 1 के विरुद्ध, मद (i) में, "विनिर्देश" शब्द के स्थान पर "पूर्ण विनिर्देश" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि संख्यांक 12 के विरुद्ध "नियम 23आ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर "नियम 24अ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) प्रविष्टि संख्यांक 23 के विरुद्ध "नियम 26 (I)" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "नियम 26" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) प्रविष्टि संख्यांक 44 के विरुद्ध, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"धारा 153 के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध पर"

(v) प्रविष्टि संख्यांक 45 के विरुद्ध, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"धारा 127 और धारा 132 और नियम 135 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर" ।

12. मूल नियमों की दूसरी अनुसूची में,-

(i) प्ररूप 1 में -

(क) पैरा 9 में मद (i) की उप मद (ख) में "हस्ताक्षर" शब्द के स्थान पर "आविष्कारक के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 10 के पश्चात्, "पेटेंट नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "पेटेंटों का नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) प्ररूप 5 में, पैरा 4 के पश्चात् "पेटेंट नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "पेटेंटों का नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) प्ररूप 9 के पैरा 2 में, "पेटेंट संख्यांक के लिए आवेदन" शब्दों के स्थान पर "पेटेंट आवेदन संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) प्ररूप 18 में,-

(क) पैरा 1 में, मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"(घ) धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख........" ;

(ख) पैरा 4 के पश्चात् "पेटेंट नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "पेटेंटों का नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) प्ररूप 21 के पैरा 1 में "पेटेंट संख्यांक/ संख्यांक" शब्दों के स्थान पर "पेटेंट संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) प्ररूप 25 में "फीस नहीं" आरंभ में आते है, लोप किया जाएगा ।

13. मूल नियमों की तीसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी

तीसरी अनुसूची
(नियम 74 देखिए)
पेटेंट प्ररूप
भारत सरकार
पेटेंट कार्यालय

पेटेंट संख्यांक....................
आवेदन संख्यांक................
फाइल करने की तारीख.......
पेटेंटी..............................
आविष्कारक...

यह प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंट अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार तारीख.......मास.............19/20.......से 20 वर्ष की अवधि के लिए ऊपर उल्लिखित आवेदन में यथा प्रकटित............नामक आविष्कार के लिए पेटेंटी को पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

अनुदत्त की तारीख .... पेटेंटों का नियंत्रक

(कार्यालय की मोहर)

टिप्पण :- इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाता हो, तो तारीख.......20............को देय होगी और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष में उसी दिन पर देय होगी।

[फा. सं. 14/2/2005-पीपी एंड सी]

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 2 मई, 2003 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 493 (अ) में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती तारीख 28 दिसंबर, 2004 को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1418 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2005

S.O. 864(E).— The following draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the power conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970) is hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan New Delhi-110011.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Patents (Second Amendment) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in clauses (i) and (ii) for the words and figures "sections 39, 65 and 125", at both places, the word and figures "section 125", shall be substituted respectively.

3. In rule 7 of the principal rules in sub-rule (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -
"(c) Where a fee is payable in respect of a document, the entire fee shall accompany the document or shall be paid within one month from the date of filing of the document and on such payment, the document shall be taken on record from the date of its filing:

4. In rule 24B, of the principal rules, -
(a) In sub-rule (1), -
(i) for clause (ii) the following clause shall be substituted; namely: -
"(ii) The period within which the request for examination under sub-section (3) of section 11B to be made shall be thirty-six months from the date of priority, if applicable, or thirty-six months from the date of filing of the application in India or twelve months from the 1st day of January, 2005, whichever is later;
(ii) in clause (v), for the words, figures and letter "the period specified under section 11B or" the words, figures and letter "the period specified under section 11B before the commencement of the Patents (Amendment) Act, 2005 or" shall be substituted.
(b) in sub-rule (4), in sub-clause (i), for the words "six months", the words "nine months" shall be substituted.

5. In Chapter VI of the principal rules, for the heading, the following heading shall be substituted, namely: -
" OPPOSITION PROCEEDINGS TO GRANT OF PATENT "

6. In rule 55 of the principal rules,-
(a) (i) for the heading, the following heading shall be substituted namely: -
"(1) Opposition to the patent.";
(ii) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely: -
(1) Representation for opposition under sub-section (1) of section 25 shall be filed at the appropriate office and shall include a statement and evidence, if any, in support of the representation and a request for hearing if so desired;

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), no patent shall be granted before the expiry of a period of six months from the date of publication of the application under section 11A.";
(b) in sub-rule (3) for the word, "effect" the words, "effect alongwith a copy of such representation" shall be substituted;
(c) in sub-rule (4) after the word, "evidence" the words, "and request for being heard" shall be inserted;

(d) in sub-rule (6), for the word, "requested" the words, "requested by either party" shall be substituted.

7. In rule 55A of the principal rules, for the words, figures and brackets "sub-section (3) of section 25", the words, figures and brackets "sub-section (2) of section 25" shall be substituted.

8. In rule 56 of the principal rules, in sub-rule (4) for the words, figures and brackets "sub-section (4) of section 25" the words, figures and brackets "sub-section (3) of section 25" shall be substituted.

9. In rule 88 of the principal rules, in sub-rule (1), for the word "sealing", at both places, the word "grant" shall be substituted respectively.

10. In rule 138 of the principal rules, in sub-rule (1) for the words, figures and brackets "in the rules 24, 55 and 80(1A)", the words, figures and brackets "in the rules 24B, sub-rule (4) of rule 55 and sub-rule (1A) of rule 80 shall be substituted.

11. In the First Schedule of the principal rules,-

(a) in columns 4 and 5, in the beginning, the word "Rupees", at both places, shall be omitted;

(b) in column 2,-

(i) against entry number1., in item (i), for the word "specification", the word "complete specification", shall be substituted;

(ii) against entry number 12, for the word, figures and letter "rule 23B", the word, figures and letter "rule 24A" shall be substituted;

(iii) against entry number 23, for the word, figures and brackets "rule 26(1)", the word and figures "rule 26" shall be substituted;

(iv) against entry number 44, for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"On request for information under section 153";

(v) against entry number 45, for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"On form of authorization of patent agent under sections 127 and 132 and rule 135".

12. In the Second Schedule of the principal rules

(i) in Form 1 –

(a) in Para 9, in item (i) in sub-item (b) for the word "Signature(s)", the words "Signature(s) of the inventor(s)" shall be substituted;

(b) after Para 10, for the words "The Controller of Patent", the words "The Controller of Patents" shall be substituted.

(ii) in Form 5, after the Para 4, for the words "The Controller of Patent", the words "The Controller of Patents" shall be substituted.

(iii)in Form 9, in Para 2 for the words "application for Patent No., the words "Patent application No." shall be substituted.

(iv) in Form 18, -

(a) in Para 1, after item (c), the following item shall be added, namely: -

"(d) date of publication of the application under section 11A...........";

(b) after Para 4, for the words "The Controller of Patent", the words "The Controller of Patents" shall be substituted.

(iv) in Form 21, in Para 1, for the words "patent No./No.", the words "Patent No." shall be substituted.

(v) in Form 25, the words "No Fee" occurring in the beginning shall be omitted.

13. For THE THIRD SCHEDULE, of the principal rules, following schedule shall be substituted

"THE THIRD SCHEDULE

(Refer rule 74)

FORM OF PATENT

GOVERNMENT OF INDIA

THE PATENT OFFICE

Patent No............. ....

Application No......................

Date of filing ....

Patentee..

Inventor(s) ....

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled.. as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the...........day of.................19/20..........., in accordance with the provisions of the Patents Act 1970.

Date of Grant----------- Controller of Patents

(Seal of the Office)

Note. – The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall due on............. day of .... 20..... and on the same day in every year thereafter.".

[F. No.14/2/2005-PP&C]

UMESH KUMAR, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification No. S.O. 1418(E) dated 28th December, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.